Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट 85 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *02 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को झालावाड़ में कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार खटीक अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, जिला झालावाड़ को परिवादी से 85 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म के थर्मल पॉवर प्लांट में किये गये गार्डन मैंटिनेंस के पूर्व में पास किये गये 29 लाख रुपये के बिलों में कमीशन एवं वर्तमान में पैंडिंग चल रहे 8 लाख रुपये के बिलों को पास करने की एवज में विनोद कुमार खटीक अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, जिला झालावाड द्वारा 85 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अजीत सिंह बगड़ोलिया** एवं उनकी टीम द्वारा झालावाड़ में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार खटीक पुत्र श्री मुरलीराम निवासी खातौला, ग्राम पंचायत नैकड़िया, पुलिस थाना आसीन्द, जिला भीलवाड़ा हाल अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, जिला झालावाड को परिवादी से **85 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**

Helpline 1064

94135-02834

विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।